न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 306/2017   निर्णय दिनांक :– 21.8.19

उनवान

1. रामपाल पुत्रं गोविन्द नारायण जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू, जयपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि आराजी भूमि ख0 नं0 546/1, 547/1, 547/2261, 548 लगायत 555, 559 लगायत 583, ख0 नं0 584/2250, 585/2251, 586 लगायत 593, ख0 नं0 594/2247, 597 लगायत 603, ख0 नं0 640 /2237, 641, 642, 643, 643/2154, 660/2236 कुल किता 60 कुल रकबा 10.54 जो वाके ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर मे स्थित [illegible] का हक व हिस्से का मात्र खातेदार मालिक [illegible] है। वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण पूर्व में खुल चुका था सम्वत 2022 से 20[illegible] की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रामपाल पिता गोविन्द नारायण रिकार्ड में दर्ज था उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त नाम का अंकन हो रखा था

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

ततश्चात एकीकरण की कार्यवाही के पश्चात प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया इस प्रकार प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे गोविन्द नारायण अंकित किया जाकर पूर्व की भाँति जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2035 के अनुसार किया जावे ताकि उक्त रिकार्ड दुरस्त हो सके। उक्त भूमि के खातेदार प्रार्थी के पिता का नाम गोविन्द नारायण दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड में छूट गया है जिसको जोडा जाना आवश्यक है इस प्रकार प्रार्थी रामपाल पुत्र गोविन्द नारायण वर्तमान जमाबन्दी में अंकित किया जाना आश्वयक है ताकि पूर्व की भॉति रिकार्ड दुरस्त हो सके। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार की शुद्धि किये जाने से किसी भी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन उत्पन्न नहीं होगी। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के मद नं० 1 में दिया गया है के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम के आगे प्रार्थी के पिता का नाम गोविन्द नारायण अंकित किया जाकर रामपाल पुत्र गोविन्द नारायण अंकित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार चाकसू को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया व जवाब सरकार हेतु तहसीलदार को पत्रांक / 5600 दिनांक 09.07[illegible] को लिखा गया किन्तु पैरोकार सरकार द्वारा जवाब [illegible] वकील प्रार्थी ने कथन किया कि जवाब सरकार पेश नही [illegible]किया जा रहा है जवाब बन्द कर प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम जो सहवन से राजस्व रिकार्ड में लिखने से रह गया उसे प्रस्तुत दस्तावेजात के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

अनुसार अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जाने के आदेश फरमाये जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम शिवदासपुरा की जमाबंदी संवत 2072–75 का खाता संख्या 3 व जमाबंदी संवत 2072–35 खाता संख्या 101 व सम्वत 2027–30 की जमाबन्दी व नकल मिलान क्षेत्रफल 2051–70, के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये।

वकील वादी के कथन पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया गया तो ग्रम शिवदासपुरा की जमाबंदी संवत 2032–35 व 2028–31 के खाता संख्या 101 में प्रार्थी का नाम रामपाल पिता गोविन्दनारायण अंकित है किन्तु जमाबंदी संवत 2072–75 में रामपाल के पिता का नाम अंकित नही जबकि उक्त जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम अंकित होना चाहिये था जो कि उक्त भूमि के खातेदार प्रार्थी के पिता का नाम गोविन्दनारायण होने से राजस्व रिकार्ड में छूट गया जिसको जोडा जाना आवश्यक है इस प्रकार प्रार्थी रामपाल पुत्र गोविन्दनारायण वर्तमान जमाबंदी में अंकित किया जाना आवश्यक है ताकि पूर्व की भांति रिकार्ड दुरूस्त हो सके क्योंकि राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार की त्रुटि शूद्धि किये जाने से किसी भी प्रकार की कानूनी अडचन उत्पन्न नही होती है बल्कि रिकार्ड शुद्ध होता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना पत्र रा0 टे0 एक्ट के प्रावधान 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी भूमि ख0 नं0 54[illegible]/1, 547/1, 547/2261, 548 लगायत 555, 559 लगायत 583, ख0 नं0 584/2250, 585/2251, 586 लगायत 593, ख0 नं0 594/2247, 597 लगायत 603, ख0 नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, (जयपुर)

640 /2237, 641, 642, 643, 643/2154, 660/2236 कुल किता 60 कुल रकबा 10.54 जो वाके ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम के आगे प्रार्थी के पिता का नाम गोविन्दनारायण अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड में रामपाल पुत्र गोविन्दनारायण अंकित किया जावे व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:24 IST
Reason: SelfAttested